



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



क्रमांक: प.3(1)वित्त-1(1)/आ.व्यय./2004 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक : 26 नवम्बर, 2020

समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलेक्टर सहित)

विषय :- कोविड-19 के दृष्टिगत प्रतिमाह सकल वेतन (Gross Salary) से कटौती के संबंध में।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 08.09.2020 एवं 10.11.2020 महोदय,

कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2020 द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के सकल वेतन (Gross Salary) से प्रतिमाह कटौती करने संबंधी निर्देशों में संदर्भित पत्र दिनांक 10.11.2020 द्वारा संशोधन किया गया था।

संदर्भित पत्र दिनांक 10.11.2020 के संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि जो अधिकारी/कर्मचारी अपने वेतन से कटौती करवाना चाहते हैं उनके द्वारा इस संबंध में आहरण एवं वितरण अधिकारी को कटौती करने बाबत लिखित में सूचित किये जाने पर ही उनके वेतन से कटौती की जाए।

यह निर्णय वेतन माह नवम्बर, 2020 देय दिसम्बर, 2020 से लागू होगा।

भवदीय,

(अखिल अरोरा)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।

Room No. 5130, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.)- 302005

Phone No. 0141-2227799

www.finance.rajasthan.gov.in

E-mail - dirbudget@rajasthan.gov.in



राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)



5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग / प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग / प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता तथा शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ।
6. शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय ।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को आई.एफ.एम.एस.-पे मैनेजर पर तदानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. उप शासन सचिव, राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग ।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान ।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

JPD/Rules- 1349



JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CIN: U40109RJ2000SGC016486

(A Government of Rajasthan Undertaking)

प्रभास्मि शशि सूर्ययोः

Office: Room no. 3, Old Power House Premises, Near Ram Mandir,

Banipark, Jaipur- 302006. Email: caoia@jvvn.org / Website: http://energy.rajasthan.gov.in/jvvn

No. JPD/CAO(IA)/AAO/Rules/F. 223 / D. 4536 Jaipur, dated: - 29/12/2020

Copy submitted/forwarded to the following for information and circulation in various offices under their jurisdiction and control: -

1. The Chief Engineer/Zonal Chief Engineer (), JPD, _____
2. The Chief Controller of Accounts/Chief Personnel Officer, JPD, Jaipur
3. The Dy. Chief Engineer (), JPD, _____
4. The Chief Accounts Officer (FM-W&M/ R&B) JPD, Jaipur.
5. The Secretary (Admn.)/Company Secretary, JPD, Jaipur.
6. The Addl. Superintendent of Police (Vig.), JPD, Jaipur.
7. The Sr. Accounts Officer () / Dy. Director of Personnel (), JPD, _____
8. The Superintending Engineer (), JPD, _____
9. The Superintending Engineer (IT), JPD, Jaipur. He is requested to upload this order indicating JPD/Rules No. on the Jaipur Discom's website.
10. The Accounts Officer/Asstt. Accounts Officer (), JPD, _____
11. T.A. to MD, JVVNL, Jaipur.
12. R.A to the Accountant General (E&R Sector Audit), O/o Principal AG Rajasthan, Jaipur.
13. P.A to the Chairman & Managing Director, JVVNL, Jaipur.
14. P.A to the Director (Finance/Technical), JPD, Jaipur.

(Dr. R.P.Gupta)

Chief Accounts Officer (IA)

Note: - Orders issued under JPD/Rules are also available on the website of Jaipur Discom.